Unit-II

Labour Law

Principles of Labour Law
- Social Justice/सामाजिक न्याय
- Social security/सामाजिक सुरक्षा
- National Economy
- International Co-operation

"सामाजिक न्याय की तुला किसी भी ओर झुकी नहीं है"

Social Justice → प्रचलित बुराइयों को दूर करते हुये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति

Based ON
- Equitable distribution of Profit
- Protection from- Harm, accident, Health

Social Justice के लिए ECA 1923 में Provision है जो compensation के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। Social Justice Constitution of India में DPSP (Part-IV) में प्रावधानित किया गया है।

Art-38- विधियों में सामाजिक, आर्थिक न्याय को प्रदान किया जायेगा

Art 39- राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक न्याय सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्तों को लागू करें।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

[जर्मनी से शुरुआत] -188/

श्रम कल्याण - सेवा, सुख, सुविधा जो कर्मचारी को दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा प्रभाग - श्रम व रोजगार में

Social security

"सामाजिक सुरक्षा के उपायों की पृष्ठभूमि में निहित धारणा यह है कि एक ऐसा नागरिक जिसने देश के कल्याण में योगदान किया है या योगदान की आशा की है उसे अवश्य ही कतिपय कठिनाइयों व विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।"

dignified life + Social Justice = Social security

Every person of society required a minimum need to spent a dignified life, so state provide as the need as his capacity.

UDHR 1948 Art-22 Right to Social security

Art-25 Right to dignity life

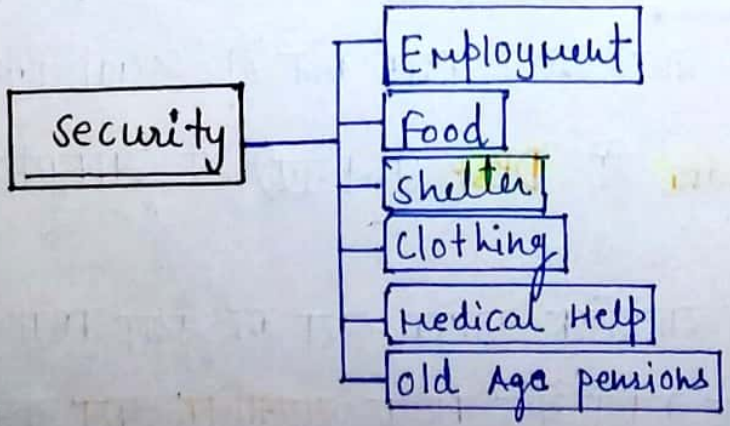

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

UN social security Convention 1952

* वृद्दा पेंशन की व्यवस्था
* Bread winners की death पर विधवा व बच्चों का care, protection.
* Suspension of Earning due to pregnancy - Maternity Relief
* Suspension of Earning due to disability (बेरोजगारी से भी)
* Suspension of Earning due to incapacity (अक्षमता)
* Bread winner की death पर Medical help दी जाये।

In Indian Constitution - Social security

In preamble - .... उन सबमें व्यक्ति की गरिमा"

Art 15(3) - 'स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष अबन्ध' करके सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अधिकार के रूप में प्रावधान।

In DPSP

Art - 41 - कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा, लोक - सहायता पाने का अधिकार

Art 42 - काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं का उपबन्ध

Art - 43(क) उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना।

Art - 46 - समाज के दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा व अर्थ सम्बन्धी हितों में वृद्धि।

समवर्ती सूची - 23+24 socialsecurity व welfare पर central व state दोनों द्वारा legislation बनाया जायेगा

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Role of ILO in promoting enactment social security Legislation in India

ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व भर में श्रमिकों के हितों पर काम करने वाला ये सबसे बड़ी संस्था है।

ILO works
- "Saviour of workers"
- "protector of poor"
- To change of social security & Justice

ILO is a TRIPARTIATE BODY [त्रिपक्षीय-निकाय]

3 parties
- Member Countries
- Employer
- Employee

Workers के अधिकारों की रक्षा के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास British social Reformer व Textile Manufacturer Robert Owen द्वारा किया गया था. जिन्होंने workers के घातक काम की श्रेणी को लेकर महत्वपूर्ण काम किया था।

ILO की स्थापना- वर्साय की संधि के Part-XIII से Universal peace व social security की रक्षा के लिए किया गया।

29 Oct-1919
जेनेवा-मुख्यालय

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Labours के Benefit के लिए ILO के कार्य

* conference करवाना
* Convention करवाना
* Recommendation देना

4 सदस्य
- 2 सदस्य देश से
- 1 Employer
- 1 Employee

Preamble of ILO

2 Major claims

- Univesal pease can be established only if it is based upon Social Justice.
- Failure of any nation to adopt humane labour standards may be an obstacle in the way of social justice improvement in the other nations.

Aims of ILO According to Philadelphia Declaration 1944

* Labour is not a Commodity.
* Sustained progress के लिए Freedom (Speech, Expression) आवश्यक है।
* "Poverty anywhere constitues danger to prosperity everywhere."
* सभी Nations का साझा प्रयास हासिल करना।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

India & ILO Relations

भारत 1919 के ILO की स्थापना के साथ से ही उसका सदस्य रहा है। कुल Presented countries (40) में से केवल 24 ने ILO की सदस्यता ली थी। भारत उनमें से एक है।

चूंकि ILO के कार्य social justice व मानवता को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। अतः भारत भी उसका हमेशा से सहभागी होता है।

Art 253 of Indian Constitution- यह संसद को अं० संधियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारत की Territory या किसी State के मामले में कानून को बनाने व उसको implement करने की Power देता है।

भारत के संविधान के भाग-IV में DPSP का प्रावधान किया गया जो Labour Law से Related है किन्तु इसे Non-enforceable बनाया गया है। ऐसा संसाधनों में कमी के कारण किया गया है।

ILO ने 1919 से अब तक कुल 39 conventions किये जिसमें India ने 37 को ratified किया है। जो कि भारत के legislation में विभिन्न प्रकार से शामिल किये जा चुके हैं या तो किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Labour Management में ILO का योगदान

* To established Inernational labour standard.
* To Collect & Distribute Information on labour
* and Industrial conditions.
* To provide technical assitance.
* By developing of social Institutions.
* Employment planning & promotion.

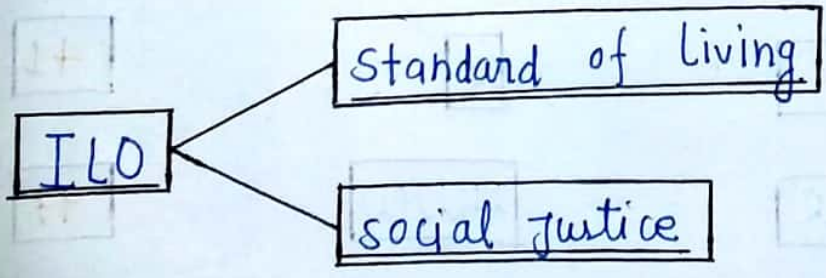

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Important Rights & Articles in various constitutions

Rights ↓	UDHR 1948	आर्थिक सा० व सा० अधिकारों की अ० प्रसंविदा	Indian Constitution
बलात् श्रम से मुक्ति	–	8(3)	23
काम का अधिकार	23(1)	(6)	41
काम के न्यायोचित व अनुकूल वातावरण का अधिकार	23(1)	(7)	42
श्रमिक संघ बनाने का अधिकार	24(4)	(8)	19(C)
Social security	22	9	41
पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार	25(1)	11(1)(2)	47
समान कार्य के लिए समान वेतन	23(2)	7(क)(1)	39(d)
आराम व अवकाश का अधिकार	24	7(घ)	43

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

UNIT-3

Brijendra Swaroop
9602261646 IIIrd SEM.

Workmen's Compensation Act 1923.

2009 के पहले तक यहाँ यही शब्द था। 2009 के संशोधन के बाद से Workmen के स्थान पर Employee का प्रयोग किया गया।
(कर्मचारी के Respect के लिये)

1880-84 – Compensate करने का पहला प्रयास।

1920 – Gov. of India (British) ने एक कमेटी गठित की जिसका काम Employers की problems को study करके Report देना था।

1 जुलाई 1924 ECA 1923 को लागू किया गया।

Statement of Object & Reason :-

* Industrialization / औद्योगीकरण से नयी मशीनों के घातक Accidents के complex Nature को परिचित किया गया व Act pass किया गया
* इसका मुख्य उद्देश्य Social security / सामाजिक सुरक्षा Social Justice / सामाजिक न्याय को Provide कराना है। [Progressive type]

Social Justice
- Positive - DPSP
- Negative - Reservation

Indignified + dignity + social justice provided करा का सम्मानपूर्ण जीवन देने का काम ही social security है।

Scanned with CamScanner

(2)

Essentials Feature of ECA 1923

* 4 Sched
⇒
* 36 sectio
* 2-Major A

(*) ECA 1923 में Tribunals को अमेरिकन व्यवस्था के आधार पर बनाया गया है।

(*) कमिश्नर को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की गई है।

(*) Sec-30 की अपील करने की व्यवस्था Narrow रखी गयी है।

[यशवन्त राव V/s MP 1979 – कमिश्नर Civil court नहीं है]

(*) Compensatory ~~Machanism~~ [Mechanism] British concept पर based है।

[Law द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाना अनिवार्य होगा, न कि मालिक की स्वेच्छा व मनमानी पर आधारित होगा]

(*) In course of an employment (तीनों conditions में मुआवजा)

- Injured ①
- Permanent disable ②
- death ③

Exceptions Willful Misconduct, Drunken Stage या drugs की अवस्था में compensate नहीं किया जायेगा।

(*)

Scanned with CamScanner